

**संशोधन,  
शैक्षणिक, प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद,  
राज्य प्रवेश परीक्षा (अभ्यर्थक)**

संख्या: वि/ए/अ 10-6-2019

संख्या:- प्रशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2019/1122

**संशोधन विभाग:-**

अभिज्ञ भारतीय छात्रों की शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सत्र 2019-20 हेतु शिक्षण सत्रों में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित प्रमाण प्राप्त होने के कारण शैक्षणिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रवेश परीक्षा/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अध्यापक, प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रवेश परीक्षा की अध्यक्षता में शैक्षणिक कार्यवाही में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अभ्यर्थित छात्रों को सम्बद्धता/पूर्व से प्रविष्टि प्राप्त होने पर सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई।

सत्र 2019-20 के सम्बद्धता विस्तार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018-19 के सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। सम्बद्धता विस्तार द्वारा प्राप्त विस्तार-विस्तार पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

संशोधन-1 में अभिज्ञ छात्रों की पाठ्यक्रमों से संबंधित विज्ञान सत्रों के संबंध में शैक्षणिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सत्र 2019-20 हेतु सत्र 2018-19 में अभिज्ञ विवरण के अनुसार शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अतः निम्नानुसार शैक्षणिक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता शर्तों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रवेश परीक्षा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जायेगी :-

क्र. सं.	सत्र	संख्या का सत्र	पाठ्यक्रम का नाम	सम्बद्धता/पूर्व से प्रविष्टि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुसूचित प्रवेश प्रदान
1	अभ्यर्थित	संशोधन-1	निम्नलिखित शैक्षणिक विभाग/शैक्षणिक प्रौद्योगिक शिक्षा संशोधन-1 संशोधन-2 संशोधन-3	88 89 89 89 89	88 88 88 88 88

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 2018-19 के सम्बद्धता/पूर्व से प्रविष्टि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची शर्तों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी।
- ✓ सत्र 2018-19 के सम्बद्धता/पूर्व से प्रविष्टि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित प्रमाण प्राप्त होने के कारण शैक्षणिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रवेश परीक्षा/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अध्यापक, प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद, राज्य प्रवेश परीक्षा की अध्यक्षता में शैक्षणिक कार्यवाही में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अभ्यर्थित छात्रों को सम्बद्धता/पूर्व से प्रविष्टि प्राप्त होने पर सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई।
- ✓ सत्र 2019-20 के सम्बद्धता विस्तार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018-19 के सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- ✓ सत्र 2019-20 के सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- ✓ सत्र 2019-20 के सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- ✓ सत्र 2019-20 के सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

  
**DIRECTOR**  
**A.S.M. POLYTECHNIC**  
**MATHURA**


- ✓ संस्था को एओआई/सीटीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बन्दे गये डिग्री/निर्देश/अधिनियमों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश गेटे निर्देश, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विशेष ध्यान होगी।
- ✓ संस्था इन फर्मेसी पाठ्यक्रम को संस्कार नहीं पी.सी.आई. मई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होगी है जो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था को होगा और अधिक स्टाफ की संख्या भी कार्यवाही को लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को कोई नोट दाखल किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में नए शासनपत्रों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी कार्य निर्गत किया जाता है जो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था इन फर्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आचार्यत्व को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तिगत के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गित नवीनतम आखन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकें, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनार, छात्रावास सुनार आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपर्युक्त आचार्यत्व उपलब्ध करने में साथ सहित संस्था को संस्था में समस्त आवश्यक स्थानों सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रत्येक वर्ष हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध करने गये अधिनियम, भूमि-भाग, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है तो संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए करना नहीं है जो शासनात्मक संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्ध कार्य का अनुपालन न होने वाले अवकाशों का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में विद्यमानानुसार अनुपालनानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सन्देश/2019/1133-3262  
प्राविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, उत्तरप्रदेशका पालीग नमुता।

सं. दिनांक: 15-5-2019

  
DIRECTOR  
A.S.M. POLYTECHNIC  
MATHURA

92  
  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव





कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मिसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभ्रत हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता बृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1695-A S M POLYTECHNIC MATHURA**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों ईजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मिसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मिसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ० प्र० समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०आई० पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प०स०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, A S M POLYTECHNIC MATHURA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव